

महत्वपूर्ण सूचना

समस्त सम्मानित अधिवक्ता बन्धुओं को सूचित किया जाता है कि जिन सदस्यों का "One Bar One Vote" के परिप्रेक्ष्य में जमा किया जाने वाला घोषणा-पत्र (Declaration Form) नहीं जमा है, दिनांक 13.06.2025 (शुक्रवार) तक काउण्टर नं०-9 पर अवश्य जमा कर दें जिससे दिनांक 17.06.2025 (मंगलवार) को अनन्तिम मतदाता सूची में उनका नाम सम्मिलित करते हुए सूची तैयार की जा सके और किसी भी वैध सदस्य को चुनाव वर्ष 2025 में मतदान करने से वंचित न होना पड़े।

जिन अधिवक्ताओं का घोषणा-पत्र (Declaration Form) पहले से जमा है, उनको जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

नोट:—घोषणा-पत्र (Declaration Form) के साथ उ०प्र० बार काउंसिल द्वारा निर्गत COP Certificate संलग्न करना अनिवार्य होगा।



(राधा कान्त ओझा)

वरिष्ठ अधिवक्ता

मुख्य चुनाव अधिकारी

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन

चुनाव वर्ष 2025

घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र

अधिवक्ता का
पासपोर्ट साइज
फोटो कोट बैंड में

[जनहित याचिका संख्या-39827/2016 (घनश्याम दुबे बनाम एल्डर्स कमेटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एवं 3 अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में]

समक्ष,

मुख्य चुनाव अधिकारी
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद।

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

..... कम्प्यूटर नं०, एडवोकेट रोल नं०-A/...../....., COP No...../....., UP Bar

Council No...../..... एवं तिथि/...../..... सशपथ निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:-

- यह कि मैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अतिरिक्त निम्नलिखित बार एसोसिएशन का/की सदस्य हूँ:- (बार एसोसिएशन का विवरण प्रस्तुत करें।)
- यह कि मैं मात्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहता/चाहती हूँ जिसके लिए मैंने बिन्दु सं०-3 में अंकित बार एसोसिएशन के समक्ष अपने घोषणा-पत्र में उक्त बार एसोसिएशन में मत नहीं देना चाहता हूँ, प्रस्तुत कर दिया है जिसको स्वतः प्रभावी माना जाय।
- यह कि माननीय उच्च न्यायालय में विगत 9 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, 9 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक तथा 9 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक मेरे द्वारा दाखिल/अनुसरण किए गए मुकदमे निम्नवत हैं:-

वर्ष	मुकदमे का विवरण	वकालतनामा/वाद दाखिला तिथि/कार्य का विवरण
01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	

नोट:- मुकदमों के विवरण के साथ केस स्टेटस संलग्न करना आवश्यक है।

- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती उ०प्र० राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा सी०ओ०पी० प्रमाण-पत्र/आई० डी० कार्ड की छायाप्रति इस शपथपत्र के साथ संलग्न कर रहा/रही है।

यह कि मैं शपथकर्ता/शपथकर्ती उपरोक्त यह तस्दीक करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र की धारा 1 लगायत 4 में उल्लिखित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी में सच व सही हैं। इसमें न कुछ झूठ है और न ही कुछ छिपाया गया है। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो मुझे स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान करने पर यदि आरोप सही पाया जाता है तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की सदस्यता समाप्त करने का बार एसोसिएशन को अधिकार होगा।

शपथकर्ता/शपथकर्ती

मो०नं०-.....

नोट:-1. सरकारी अधिवक्ताओं एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं तथा जिनकी सदस्यता 30 वर्ष से अधिक की हो चुकी है उनको कालम संख्या-3 भरने की आवश्यकता नहीं है।

2. जिन सम्मानित सदस्यों ने पिछले चुनाव वर्ष 2024-25 में डिक्लेरेशन फार्म जमा किया था, उनको सी०ओ०पी०/घोषणा-पत्र नहीं जमा करना है।

कार्यालय प्रयोग हेतु

अधिवक्ता का नाम कम्प्यूटर क्रमांक-

पिता का नाम जमा करने की तिथि

हस्ताक्षर